Kursi Par Namaz Padhne Ke Ahakaam (Hindi)

कुरसी पर नमाज़ पढ़ने के अह्काम

पेशकश : मज्लिसे इफ़्ता (दा'वते इस्लामी)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

किताब पढ़ने की दुआ़

अज़ : शैखे़ त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ़ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ़ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़-ज़मत और बुज़ुर्गी वाले । (اَلْمُستطرَف ج١ ص٤٠ دارالفكر بيروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये ।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

कुरसी पर नमाज़ पढ़ने के अह़काम

येह रिसाला (**कुरसी पर नमाज़ पढ़ने के अह़काम**)

मुफ़्ती फ़ुजै़ल रज़ा क़ादिरी अ़त्तारी مَدَّظِلُّهُ الْعَالِی ने **उर्दू** ज़बान में तह़रीर फ़रमाया है, जिसे मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ने पेश किया है ।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ़ करवाया है । इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, ई-मेइल या SMS) मुत्त़लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये ।

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)
मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की
मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात
MO. 9374031409 E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

www.dawateislami.net

कुरसी पर नमाज़ पढ़ने के शर-ई मसाइल पर एक जामेअ़ और अहम फ़तवा

पेशकश

मजलिसे इफ़्ता (दा'वते इस्लामी)

नाशिर

मक-त-बतुल मदीना

www.dawateislami.net

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ؕ

नाम रिसाला : **कुरसी पर नमाज़ पढ़ने के अह़काम**

अज़ : **मुफ़्ती फ़ुज़ैल रज़ा क़ादिरी अ़त्तारी** مُدَّظِلُّهُ الۡعَالِی

पेशकश : **मजलिसे इफ़्ता** (दा'वते इस्लामी)

पहली बार : ज़ी क़ा'दतिल ह़राम 1436 सि.हि.

नाशिर : मक-त-बतुल मदीना, अह़मदआबाद ।

मक-त-बतुल मदीना की शाख़ें

मुम्बई : 19,20, मुह़म्मद अ़ली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429

देहली : 421, मटिया मह़ल, उर्दू बाज़ार, जामेअ़ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560

नागपुर : मुह़म्मद अ़ली सराय रोड (C / 0) जामिअ़तुल मदीना, कमाल शाह बाबा दरगाह के पास, मोमिनपुरा, नागपुर फ़ोन : 0712 -2737290

अजमेर शरीफ़ : 19 / 216 फ़लाहे़ दारैन मस्जिद के क़रीब, नला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, : (0145) 2629385

हुब्ली : A.J. मुढोल कोम्पलेक्स, A.J. मुढोल रोड, ब्रीज के पास, हुब्ली - 580024. फ़ोन : 09343268414

है़दरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, हैदरआबाद फोन : 040-24572786

E-mail : ilmia@dawateislami.net
www.dawateislami.net

म-दनी इल्तिजा : किसी और को येह किताब छापने की इजाज़त नहीं ।

www.dawateislami.net

تقریظ جلیل

عالم نبیل، فاضلِ جلیل اُستاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نسیم مصباحی دامت برکاتہم العالیہ

(مفتی دارالافتاء جامعہ اشرفیہ مبارکپور اعظم گڑھ، ہند)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ هو الفقه الاکبر والصلوٰۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد هو الحدیث الاظهر وعلیٰ آلہ وصحبہ المصابیح الغرر۔

آجکل شہروں میں یہ فیشن چل پڑا ہے کہ دراصل تکالیف کی وجہ سے یا محض تن آسانی کے لیے کچھ حضرات اسٹول (STool) یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے ہیں حالانکہ یہی لوگ گھر سے پیدل چل کر مسجد تک آ جاتے ہیں اور دیر تک کھڑے کھڑے احباب سے باتیں کرتے ہیں جبکہ قیام بھی نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ جو لوگ قیام پر قادر ہوتے ہوئے اسٹول یا کرسی پر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اور بعض حضرات شرعاً معذور ہوتے ہیں جن سے قیام ساقط ہے تو چاہے وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں یا اسٹول یا کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں ان کی نماز درست ہے۔

اس مسئلے پر جناب مولانا مفتی فضیل رضا عطاری زید مجدہٗ نے ایک نہایت تحقیقی فتویٰ لکھا جو ایک رسالہ کی حیثیت رکھتا ہے یہ پورا فتویٰ میں نے پڑھ لیا ہے مفتی فضیل رضا صاحب نے بڑی کاوش و عرق ریزی سے احادیث اور فقہ کی روشنی میں یہ فتویٰ تحریر کیا ہے۔

ان کی یہ محنت قابل تحسین و لائق ستائش ہے ان شاء اللہ عزوجل یہ فتویٰ بہت سے لوگوں کی نماز کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔

اس فتویٰ کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ عزوجل مفتی صاحب کی یہ خدمت قبول فرمائے اور انھیں دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے آمین۔ بجاہ حبیبہ سید المرسلین۔

محمد نسیم مصباحی

خادم التدریس والافتاء، الجامعۃ الاشرفیہ
مبارکپور، اعظم گڑھ، یوپی، الھند
٦ جمادی الآخرہ ١٤٣٦ھ / ٢٧ مارچ ٢٠١٥ء

तक़्रीज़े जलील (हिन्दी)

आलिमे नबील, फ़ाज़िले जलील उस्ताज़ुल उ़-लमा ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद नसीम मिस्बाही دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ

(मुफ़्ती दारुल इफ़्ता जामिआ़ अशरफ़िय्या मुबारक पूर आ'ज़म गढ़, हिन्द)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الحمد للہ هو الفقه الاکبر والصلوٰة والسلام علی حبیبه سیدنا محمد هو الحدیث الاعظم وعلی آله وصحبه المصابیح الغرر۔

आज कल शहरों में येह फ़ेशन चल पड़ा है कि ज़रा सी तक्लीफ़ की वज्ह से या मह्ज़ तन-आसानी के लिये कुछ ह़ज़रात स्टूल (STOOL) या कुरसी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ने लगे हैं ह़ालां कि वोही लोग घर से पैदल चल कर मस्जिद तक आते जाते हैं और देर तक खड़े खड़े अह़बाब से बातें करते हैं जब कि क़ियाम भी नमाज़ के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। जो लोग क़ियाम पर क़ादिर होते हुए स्टूल या कुरसी पर नमाज़ पढ़ते हैं उन की नमाज़ नहीं होती। और बा'ज़ ह़ज़रात शरअ़न मा'ज़ूर होते हैं जिन से क़ियाम साक़ित़ होता है ख़्वाह ज़मीन पर बैठ कर नमाज़ पढ़ें या स्टूल या कुरसी पर बैठ कर पढ़ें उन की नमाज़ दुरुस्त है।

इस मस्अले पर जनाब मौलाना मुफ़्ती फ़ुज़ैल रज़ा अ़त्तारी زِیْدَمَجْدُہٗ ने इन्तिहाई तह़क़ीक़ी फ़तवा लिखा जो एक रिसाले की ह़ैसिय्यत रखता है येह पूरा फ़तवा मैं ने पढ़ लिया है, मुफ़्ती फ़ुज़ैल रज़ा साह़िब ने बड़ी काविश व अ़रक़ रेज़ी से अह़ादीस और फ़िक़्ह की रोशनी में येह फ़तवा तह़रीर किया है।

इन की येह मेह़नत क़ाबिले तह़्सीन व लाइक़े सिताइश है اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ येह फ़तवा बहुत से लोगों की नमाज़ की इस्लाह़ का ज़रीआ़ बनेगा।

इस फ़तवे की मैं तस्दीक़ करता हूं। मेरी दुआ़ है कि अल्लाह عَزَّوَجَلَّ मुफ़्ती साह़िब की येह ख़िदमत क़बूल फ़रमाए और इन्हें दुन्या व आख़िरत में इस की बेहतरीन जज़ा अ़त़ा फ़रमाए। اٰمِیْن بِجَاہِ حَبِیْبِہٖ سَیِّدِالْمُرْسَلِیْن

मुह़म्मद नसीम मिस्बाही
ख़ादिमुत्तदरीस वल इफ़्ता अल जामिअ़तुल अशरफ़िय्या
मुबारक पूर आ'ज़म गढ़, यूपी, अल हिन्द।
6, जुमादल आख़िरह 1436 सि.हि.
27, मार्च 2015 सि.ई.

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

कुरसी पर नमाज़ पढ़ने के अह़काम

क्या फ़रमाते हैं उ़-लमाए दीन व मुफ़्तियाने शर-ए़ मतीन इस मस्अले में कि कुरसी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है ? आज कल मसाजिद में इस का बहुत रवाज हो गया है लिहाज़ा वज़ाह़त के साथ इस का जवाब दें ताकि अ़वामुन्नास को इस ह़वाले से शर-ई रहनुमाई ह़ासिल हो जाए, नीज़ कुरसी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाला शख़्स पूरा क़ियाम या बा'ज़ सफ़ से आगे हो कर करे तो इस का क्या हुक्म है ? और मसाजिद में मा'ज़ूर अफ़राद के लिये कुर्सियां कहां रखनी चाहिएं ? मज़ीद येह कि कुरसी के साथ लगे हुए तख़्तों पर बा'ज़ लोग सर रख कर सज्दा करते हैं इस का क्या हुक्म है, येह कहना कि मक्रूहे तह़रीमी व गुनाह है दुरुस्त है या नहीं ?

साइल : मुह़म्मद **अब्दुल्लाह**

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّاب اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

फ़राइज़ व वाजिबात और सुन्नते फ़ज्र में क़ियाम फ़र्ज़ है। इन नमाज़ों को अगर बिला उ़ज़्रे शर-ई बैठ कर पढ़ेंगे तो अदा न होंगी और अगर ख़ुद खड़े हो कर नहीं पढ़ सकते मगर अ़सा या दीवार या आदमी के सहारे खड़ा होना मुम्किन हो तो जितनी देर इस त़रह़ सहारे से खड़ा हो सकता है उतनी देर खड़ा होना फ़र्ज़ है, यहां तक कि सिर्फ़ तक्बीरे तह़रीमा खड़े हो कर कह सकता है तो

www.dawateislami.net

इतना ही क़ियाम फ़र्ज़ है और अगर इस की भी इस्तित़ाअ़त न हो या'नी न ख़ुद खड़ा हो सकता है और न ही किसी चीज़ से टेक लगा कर खड़ा हो सकता है अगर्चे कुछ देर के लिये ही सही तो बैठ कर नमाज़ पढ़ सकता है। यूंही खड़े होने में पेशाब का क़त़रा आता है या चौथाई सत्र खुलता है या बीमारी वग़ैरा की वज्ह से ऐसा लाग़र व कमज़ोर हो चुका है कि खड़ा तो हो जाएगा मगर क़िराअत न कर पाएगा तो क़ियाम साक़ित़[1] हो जाएगा। मगर इस बात का ख़याल रहे कि सुस्ती व काहिली और मा'मूली दिक़्क़त को मजबूरी बनाने से क़ियाम साक़ित़ नहीं होता बल्कि इस बात का गुमान ग़ालिब हो कि क़ियाम करने से मरज़ में ज़ियादती हो जाएगी या देर में अच्छा होगा या ना क़ाबिले बरदाश्त तक्लीफ़ होगी तो बैठ कर पढ़ने की इजाज़त मिलती है।

इस फ़र्ज़िय्यते क़ियाम की अहम्मिय्यत का अन्दाज़ा इस बात से लगा लीजिये कि जमाअ़त से नमाज़ पढ़ने के लिये जाएगा तो क़ियाम न कर सकेगा, घर में पढ़े तो क़ियाम के साथ पढ़ सकता है तो शरअ़न हुक्म येह है कि घर में क़ियाम के साथ नमाज़ पढ़े, अगर घर में जमाअ़त मुयस्सर आ जाए फ़बिहा वरना तन्हा ही क़ियाम के साथ घर में पढ़ने का हुक्म है।

अल ग़रज़ सच्ची मजबूरियों की बिना पर क़ियाम साक़ित़ होता है, अपनी मन घड़त बनाई हुई नाम की मजबूरियों का शरअ़न किसी क़िस्म का कोई लिहाज़ नहीं होता।

तम्बीह : क़ियाम के साक़ित़ होने की एक अहम सूरत येह भी है कि अगर्चे क़ियाम पर क़ादिर हो मगर सज्दा ज़मीन पर या

1...... या'नी मुआ़फ़ होना।

www.dawateislami.net

ज़मीन पर इतनी ऊंची रखी हुई चीज़ पर कि जिस की ऊंचाई बारह उंगल से ज़ियादा न हो करने से आ़जिज़ हो तो इस सज्दए ह़क़ीक़ी से आ़जिज़ होने की सूरत में अस्लन क़ियाम साक़ित़ हो जाता है इसे अच्छी त़रह़ समझ लेना चाहिये वरना जब क़ियाम के ऊपर ज़िक्र किये गए मसाइल बयान किये जाते हैं कि ''अगर्चे तक्बीरे तह़रीमा खड़े हो कर कह सकता है तो इतना क़ियाम फ़र्ज़ है वरना नमाज़ न होगी'' और इस क़िस्म के मसाइल जो ऊपर ज़िक्र किये गए तो इन मसाइल की बिना पर सज्दा न कर सकने की सूरत में अ़वामुन्नास को येह शुबा लाह़िक़[1] होता है कि क़ियाम पर क़ुदरत के बा वुजूद क़ियाम कैसे साक़ित़ हो रहा है और कमा ह़क़्क़ुहू वोह इन मसाइल को समझ नहीं पाते इस लिये दोनों सूरतों में फ़र्क़ मल्ह़ूज़ रखना चाहिये।

कुरसी पर या इस के इ़लावा बैठ कर पढ़ने के हुक्मे शर-ई की मज़ीद वज़ाह़त के लिये दो जामेअ़ सूरतें ज़िक्र की जाती हैं इस बाब के मसाइल का लुब्बे लुबाब इन से अच्छी त़रह़ ज़ेह्न नशीन हो सकता है।

(1) क़ियाम पर क़ुदरत न हो, बिल्कुल क़ादिर न हो या कुछ क़ियाम पर क़ादिर हो फिर क़ुदरत न रहे, मगर रुकूअ़ व सज्दा पर क़ादिर है।

इस सूरत में मरीज़ जितना क़ियाम कर सकता है उतना क़ियाम कर के बाक़ी नमाज़ बैठ कर तो पढ़ सकता है मगर चूंकि रुकूअ़ व सुजूद पर क़ादिर है इस लिये दुरुस्त त़रीक़े से पीठ झुका कर रुकूअ़ करना होगा और सज्दा भी ज़मीन ही पर करना होगा ज़ियादा से ज़ियादा बारह उंगल ऊंची रखी हुई चीज़ पर भी सज्दा

[1]...... या'नी दरपेश होना।

www.dawateislami.net

कर सके तो उसी पर सज्दा करना ज़रूरी है रुकूअ़ व सुजूद की जगह इशारा करने से उस की नमाज़ न होगी।

अब अगर तअम्मुल से काम लिया जाए तो इस सूरत में अगर बैठने वाला ज़मीन पर बैठा हो तो रुकूअ़ और सज्दे करने में उसे कोई दिक़्क़त न होगी लेकिन अगर कुरसी पर बैठा हो तो सज्दा करने के लिये उसे कुरसी पर से उतरना पड़ेगा और सज्दा ज़मीन पर दुरुस्त त़रीक़े से करने के बा'द दोबारा कुरसी पर बैठना होगा, इस में चूंकि दिक़्क़त भी है और जमाअ़त के साथ पढ़ने वाला इस त़रह़ करे तो बड़ा अ़जीबो ग़रीब मन्ज़र दिखाई देता है, सज्दा भी उसे सफ़ से आगे निकल कर करना पड़ता है, यूं सफ़ की दुरुस्तगी में भी ख़लल आ जाता है।

फिर अहम बात येह कि जब वोह सज्दा ज़मीन पर करने पर क़ादिर है तो क़ियाम के बा'द उसे कुरसी पर बैठने की ज़रूरत ही क्या है जब बैठना ही उस का ग़ैर ज़रूरी लग़्व व फ़ुज़ूल है तो उसे हरगिज़ कुरसी पर नहीं बैठना चाहिये, इस त़रह़ बैठने वाले या तो बिला वज्ह की दिक़्क़तों में पड़ते हैं या क़ादिर होने के बा वुजूद रुकूअ़ व सुजूद कुरसी पर बैठे बैठे इशारों से करते हैं, यूं अपनी नमाज़ों को फ़ासिद करते हैं।

लिहाज़ा ऐसों को ज़मीन ही पर बैठ कर रुकूअ़ व सुजूद दुरुस्त त़रीक़े से ब आसानी अदा कर के नमाज़ पढ़नी चाहिये ताकि फ़साद और हर क़िस्म के ख़लल से उन की नमाज़ मह़फ़ूज़ रहे।

(2) रुकूअ़ व सुजूद दोनों पर क़ुदरत न हो या सिर्फ़ सज्दे पर क़ादिर न हो तो अगर्चे खड़ा हो सकता हो उस से अस्लन क़ियाम साक़ित़ हो जाता है।

www.dawateislami.net

लिहाज़ा इस सूरत में मरीज़ बैठ कर भी नमाज़ पढ़ सकता है बल्कि इस के लिये अफ़्ज़ल बैठ कर पढ़ना है और ऐसा मरीज़ अगर कुरसी पर बैठ कर नमाज़ पढ़े तो इस की भी गुन्जाइश है कि कुरसी पर बैठे बैठे रुकूअ़ व सुजूद भी इशारे से ब आसानी किये जा सकते हैं, यूं पूरी नमाज़ बैठे बैठे अदा हो जाएगी, पहली सूरत की त़रह़ बे जा दिक़्क़तों और फ़साद नमाज़ वग़ैरा का अन्देशा इस सूरत में नहीं होता।

मगर चूंकि ह़त्तल इम्कान दो ज़ानू बैठना चाहिये कि मुस्तह़ब है इस लिये कुरसी पर पाउं लटका कर बैठने से एह़तिराज़ करना चाहिये, जिस त़रह़ आसान हो ज़मीन ही पर बैठ कर नमाज़ अदा की जाए, दो ज़ानू बैठना आसान हो या दूसरी त़रह़ बैठने के बराबर हो तो दो ज़ानू बैठना मुस्तह़ब है वरना जिस में आसानी हो चार ज़ानू या उकड़ूं या एक पाउं खड़ा कर के एक बिछा कर इसी त़रह़ बैठ जाए, हां अगर ज़मीन पर बैठा ही न जाए तो इस दूसरी सूरत में कुरसी या स्टूल या तख़्त वग़ैरा पर पाउं लटका कर बैठ सकते हैं मगर बिला वज्ह टेक लगाने से फिर भी एह़तिराज़ किया जाए कि बैठ कर नमाज़ पढ़ने की जिन्हें इजाज़त होती है ह़त्तल इम्कान उन्हें टेक लगाने से एह़तिराज़ करना चाहिये और अ-दबो ता'ज़ीम और सुन्नत के मुत़ाबिक़ अफ़्आ़ल बजा लाने की कोशिश करनी चाहिये।

इस सूरत में चूंकि बैठ कर पढ़ने की रुख़्सत मिलने का अस्ल सबब रुकूअ़ व सुजूद पर क़ादिर न होना है इस लिये रुकूअ़ व सुजूद का इशारा करना होगा और सज्दे के इशारे में रुकूअ़ से ज़ियादा सर झुकाना ज़रूरी है, इस बात का भी ख़याल रखा जाए

www.dawateislami.net

वरना नमाज़ न होगी ।

कुरसी पर बैठने वाला पूरा क़ियाम या कुछ क़ियाम सफ़ से आगे निकल कर करे तो उस का हुक्म

मुम्किना दो सूरतें बनती हैं : **(1)** सफ़ की सीध में कुरसी होने की वज्ह से वोह ख़ुद सफ़ से आगे जुदा हो कर खड़ा होगा जैसा कि आ़म तौ़र पर लोग खड़े होते हैं **(2)** या फिर कुरसी सफ़ से पीछे कर के ख़ुद सफ़ की सीध में खड़ा होगा तो बैठने की सूरत में सफ़ से जुदा होगा और उस की कुरसी की वज्ह से पिछली सफ़ भी ख़राब होगी ।

लिहाज़ा दोनों सूरतों में सफ़ बन्दी में ख़लल की मक्रूह सूरत का इरतिकाब लाज़िम आएगा जब कि सफ़ की दुरुस्तगी की अहा़दीस में बहुत ताकीद आई है कि सफ़ बराबर हो, मुक़्तदी आगे पीछे न हों, सब की गरदनें, कन्धे, टख़्ने आपस में महा़ज़ी या'नी एक सीध में हों ।

अब कुरसी पर बैठने वालों का जाएज़ा लिया जाए तो जो शख़्स ज़मीन पर सज्दा करने पर क़ादिर नहीं अगर वोह मजबूरन कुरसी पर नमाज़ जमाअ़त के साथ पढ़े तो उसे कुरसी पर बैठ कर इशारों से नमाज़ पढ़नी चाहिये ताकि खड़े होने की सूरत में सफ़ बन्दी में ख़लल न आए और कराहत का मुर-तकिब न हो । और हो सके तो बिग़ैर कुरसी के नमाज़ पढ़े कि इस सूरत में क़ियाम करने और फिर बैठ जाने दोनों सूरतों में सफ़ बन्दी में ख़लल नहीं आता ।

www.dawateislami.net

और जो सज्दे पर क़ादिर है पूरे क़ियाम पर क़ादिर नहीं बा'ज़ पर क़ादिर है इस के लिये चूंकि ज़रूरी है कि जितने पर क़ादिर है इतना क़ियाम करे यहां तक कि तक्बीरे तह्रीमा कह सकता हो तो वोही खड़े हो कर कहे वरना उस की नमाज़ न होगी लिहाज़ा ऐसे शख़्स के लिये जमाअ़त के साथ कुरसी पर बैठ कर नमाज़ अदा करने में शरअ़न कोई मजबूरी नहीं हो सकती कि जब सज्दे पर वोह क़ादिर है कुछ क़ियाम भी कर सकता है तो क़ियाम के बा'द उसे ज़मीन ही पर बैठना होगा तो फिर कुरसी किस काम की है दूसरों की रीस में मह्ज़ राह़त के लिये बैठना क्या उ़ज़्र बन सकता है हरगिज़ नहीं ! अगर बैठने और उठने में दिक़्क़त होगी इस लिये थोड़ी देर के लिये क़ियाम के बा'द कुरसी पर बैठ जाते हैं तो उन्हें थोड़ी दिक़्क़त बरदाश्त कर लेनी चाहिये ।

लिहाज़ा ऐसे ह़ज़रात सफ़ में ज़मीन पर नमाज़ पढ़ें, जितना क़ियाम कर सकते हों सफ़ में खड़े हों, बाक़ी बैठ जाएं और रुकूअ़ व सुजूद ह़क़ीक़तन कर के अपनी नमाज़ मुकम्मल करें, हो सकता है कि बहुत से इस क़िस्म के लोग मह्ज़ कुरसी के चक्कर में रुकूअ़ व सुजूद पर क़ादिर होने के बा वुजूद इशारे से नमाज़ पढ़ते हों उन की तो यूं नमाज़ें भी ज़ाएअ़ हो जाती हैं । उन्हें जो दुरुस्त मस्अला बताए, समझाए, उस पर अ़मल की राह दिखाए, कुरसी की नफ़्सियात की वज्ह से बा'ज़ लोग उसे दुश्मन समझते हैं उन्हें होश करना चाहिये, समझाने वाला उन का दुश्मन नहीं ख़ैर ख़्वाह है, उन की नमाज़ों का तह़फ़्फ़ुज़ चाहता है, उन्हें अपना अ़मल दुरुस्त कर लेना चाहिये ।

www.dawateislami.net

मस्जिद में दौराने जमाअ़त कुर्सियां कहां रखनी चाहिएं

कुर्सियां सफ़ के कनारों पर रखी जाएं, सफ़ के दरमियान रखने की वज्ह से बिला वज्ह नमाज़ियों को वह्शत होगी, सफ़ दुरुस्त करने में बा'ज़ अवक़ात दरमियान में रखी हुई कुरसी की वज्ह से ख़लल आता है, सफ़ बनाते हुए खड़े खड़े सरक्ना आसान होता है मगर कुरसी बीच में रखी हो तो उसे सरकाते हुए सफ़ दुरुस्त करना मुश्किल काम है, आ़म तौ़र पर कुर्सियां कनारे ही पर रखी जाती हैं येही मुनासिब है मगर बा'ज़ मसाजिद में दाएं बाएं के कनारों पर लाइन से चार पांच कुर्सियां सजाई होती हैं बा'ज़ कुरसी पर बैठने वाले तक्बीरे ऊला से पहले आ जाते हैं बा'ज़ कुर्सियां ख़ाली होती हैं ऐ़न नमाज़ शुरूअ़ होते वक़्त वोही दिक़्क़त कि ख़ाली कुर्सियों को उठाने में करनी पड़ती है, बा'ज़ ला परवाही से ऐसे ही निय्यत बांध लेते हैं सफ़ पूरी नहीं करते, इस जानिब भी तवज्जोह देनी चाहिये, पहले से कुर्सियां न सजाई जाएं, कोई मा'ज़ूर व मरीज़ होगा तो पहली दूसरी तीसरी जिस सफ़ में उसे जगह मिलेगी उसी के कनारे अपनी कुरसी रख लेगा।

आ़म तौ़र पर कुर्सियों की देखभाल भी मस्जिद के मुअज़्ज़िन और ख़ादिम को करनी होती है येह भी बिला वज्ह की एक दिक़्क़त इन के सर डालना है, बा'ज़ अवक़ात बा'ज़ बुजु़र्गों की मस्जिद के मुअज़्ज़िन या ख़ादिम से उलझ्ने और उन्हें झाड़ने की ख़बरें भी मिलती रहती हैं और बहुत से लोगों ने हो सकता है इस का मुशा-हदा भी किया हो, इस लिये कुरसी पर अगर मस्जिद में

www.dawateislami.net

बैठना ही है तो तमाम तर शर-ई और अ़क़्ली तक़ाज़ों और एह़तियात़ों के साथ बैठा जाए ताकि नमाज़ भी दुरुस्त अदा हो और दूसरे नमाज़ियों को भी किसी क़िस्म की परेशानी व वह़शत न हो।

एक और मस्अला जो आ़म त़ौर पर जुमुआ़ की नमाज़ में देखा जाता है कि कुर्सियां चूंकि अगली सफ़ों में कनारों पर रखी होती हैं और बा'ज़ मा'ज़ूर व मजबूर ह़ज़रात देर में आते हैं और दौराने ख़ुत़्बा अपनी कुरसी तक पहुंचने के लिये गरदनों को फलांगते हुए जाते हैं, येह भी जाइज़ नहीं कि ह़दीस शरीफ़ में है कि "जिस ने जुमुआ़ के दिन लोगों की गरदनें फलांगीं उस ने जहन्नम की त़रफ़ पुल बनाया।"[1] सदरुश्शरीअ़ह رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه येह ह़दीस नक़्ल करने के बा'द फ़रमाते हैं कि ह़दीस में लफ़्ज़ "اتخذ جسرًا" वाक़ेअ़ हुवा है इस को मा'रूफ़ व मज्हूल दोनों त़रह़ पढ़ सकते हैं और येह तरजमा मा'रूफ़ का है और मज्हूल पढ़ें तो मत़लब येह होगा कि ख़ुद पुल बना दिया जाएगा या'नी जिस त़रह़ लोगों की गरदनें इस ने फलांगी हैं इस को क़ियामत के दिन जहन्नम में जाने का पुल बनाया जाएगा कि इस के ऊपर से चढ़ कर लोग जाएं।

एक और ह़दीस शरीफ़ में है कि एक शख़्स लोगों की गरदनें फलांगते हुए आया और हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ख़ुत़्बा फ़रमा रहे थे, इर्शाद फ़रमाया : बैठ जा ! तू ने ईज़ा पहुंचाई[2]।[3]

---

1 ......سنن الترمذی، ابواب الجمعة، باب ما جاء فی کراهية التخطی يوم الجمعة، ٤٨/٢، الحديث:٥١٣.

2 ...... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب تخطی رقاب الناس يوم الجمعة، ٤١٣/١،الحديث: ١١١٨.

3 ..... ब ह़वाला बहारे शरीअ़त, ह़िस्सए चहारुम, जि. 1, स. 761, 762

www.dawateislami.net

तम्बीह : जमाअ़त से नमाज़ पढ़ने वाला कुरसी पर बैठ कर पढ़े। इस ह़वाले से काफ़ी तफ़्सील बयान हो चुकी कि जिस का पढ़ना जाइज़ भी है उसे भी चाहिये कि सफ़ बन्दी में ख़लल न आए, नमाज़ियों को वह्शत न हो इस का ख़याल रखे ! लेकिन मुन्फ़रिद हो या जमाअ़त के साथ पढ़ने वाला अगर मजबूरन कुरसी पर बैठ कर नमाज़ एह्तियात़ के साथ पढ़े कि इस की गुन्जाइश है इस में ह़रज नहीं, तो ऐसों को कुरसी पर से उठाने में बे जा शिद्दत बरत्ना और उन्हें मु-तनफ़्फ़िर करने की भी हरगिज़ इजाज़त नहीं। फ़साद की, कराहत व ख़लल पर मुश्तमिल और इजाज़त की सूरतों को अच्छी त़रह़ समझ लिया जाए ! इन्हें ख़ल्त़ मल्त़ न किया जाए।

इस फ़तवे में मसाइल काफ़ी सह्ल कर के बयान किये गए हैं मगर फिर भी हो सकता है कि कुछ लोगों को किसी मो'तमद आ़लिम या मुस्तनद मुफ़्ती से समझने की ह़ाजत रहे।

नोट : चूंकि इन अहम मसाइल से बहुत से लोग ग़ाफ़िल हैं और दूसरों की रीस में कुरसी पर सुवार तो हो जाते हैं मगर ज़रूरी मसाइल से ग़ाफ़िल हो कर अपनी नमाज़ों को ख़राब करते हैं, इस लिये इन मसाइल की भरपूर त़रीक़े से इशाअ़त कर के आ़म्मतुन्नास को ग़-लत़ियों से बचाना चाहिये। बिल ख़ुसूस मसाजिद के अइम्मा व ख़ु-त़बा अगर वक़्तन फ़ वक़्तन इन्हें बयान करते रहें तो बहुत से लोगों का भला होगा बल्कि ज़रूरी मसाइल बिग़ैर दलाइल के अ़ला-ह़दा कर के मसाजिद वग़ैरा अहम जगहों पर आवेज़ां करना भी मुफ़ीद साबित होगा।

www.dawateislami.net

मु-तअ़ल्लिक़ा जुज़इय्यात

चुनान्चे बुख़ारी शरीफ़ में है : عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ قال كانت بی بواسير فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فقال صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلی جنب या'नी ह़ज़रते इमरान बिन हुसैन رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है, फ़रमाते हैं कि मुझे बवासीर की बीमारी थी तो मैं ने **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के रसूल صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से (इस मरज़ में) नमाज़ के मु-तअ़ल्लिक़ सुवाल किया तो आप صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : खड़े हो कर नमाज़ पढ़ो, अगर तुम्हें इस की त़ाक़त न हो तो बैठ कर और अगर इस की भी त़ाक़त न हो तो करवट के बल लैट कर पढ़ो ।[1]

कन्ज़ुद्दक़ाइक़ में है : ''تعذر عليه القيام أو خاف زيادة المرض صلى قاعدًا يركع ويسجد وموميًا ان تعذر وجعل سجوده اخفض ولا يرفع الى وجهه شيئًا يسجد عليه فان فعل وهو يخفض رأسه صح والالا'' या'नी (मरीज़) पर अगर क़ियाम करना मु-तअ़ज़्ज़र हो या उसे क़ियाम करने की सूरत में मरज़ बढ़ जाने का ख़ौफ़ हो तो बैठ कर रुकूअ़ व सुजूद के साथ नमाज़ अदा करे, और अगर ह़क़ीक़तन रुकूअ़ व सुजूद भी मु-तअ़ज़्ज़र हों तो इशारे से नमाज़ पढ़े और सज्दे का इशारा रुकूअ़ की ब निस्बत पस्त करे, और कोई चीज़ पेशानी के क़रीब उठा कर उस पर सज्दा करने की इजाज़त नहीं लेकिन अगर कोई चीज़ उठा कर उस पर सज्दा कर लेता है तो अगर सज्दे में ब निस्बत रुकूअ़ के ज़ियादा सर झुकाया तो नमाज़ हो गई वरना नहीं होगी ।[2]

---

1 ......صحیح البخاری، کتاب تقصیر الصلاة، باب اذا لم یطق قاعدًا صلی علی جنب، ۱ / ۳۸۰، الحدیث: ۱۱۱۷.

2 ...... کنز الدقائق مع شرحہ بحر الرائق، ۲ / ۱۹۷.

www.dawateislami.net

मुन्यह की शर्ह़ ह़ल्बी कबीर में उ़म्दतुल मुह़क़्क़िक़ीन अ़ल्लामा फ़ह्हामा इब्राहीम ह़ल्बी عَلَيْهِ الرَّحْمَة फ़रमाते हैं :

(والثانية) من الفرائض (القيام ولو صلى الفريضة قاعدًا مع القدرة على القيام لا تجوز) صلٰوته بخلاف النافلة على ما ياتى ان شآء اللّٰه تعالٰى (وان عجز المريض عن القيام) عجزًا حقيقيًا او حكميًا كما اذا قدر حقيقةً لكن يخاف بسببه زيادة مرض او بطؤ برء او يجد المًا شديدًا (يصلى قاعدًا يركع و يسجد) لحديث عمران بن حصين اخرجه الجماعة الا مسلمًا قال كانت بى بواسير فسألت النبى صلى اللّٰه عليه وسلم عن الصلٰوة فقال صل قائمًا فان لم تستطع فقاعدًا فان لم تستطع فعلى جنب زاد النسائى فان لم تستطع فمستلقيا لايكلف اللّٰه نفسا الا وسعها امًا اذا كان يقدر على القيام لكن يلحقه نوع مشقة من غير الم شديد ولا خوف ازدياد مرض او بطؤ برء فلا يجوز له ترك القيام ولو قدر عليه متكئًا على عصااوخادم قال الحلوانى الصحيح انه يلزمه القيام متكئًا ولوقدرعلى بعض القيام لا كله لزمه ذلك القدرحتى لوكان لا يقدر الا على قدر التحريمة لزمه ان يتحرم قائمًا ثم يقعد (فان لم يستطع الركوع والسجود) قاعدًا ايضًا (اومى براسه) لهما ايماء (وجعل السجود اخفض من الركوع ولا يرفع الى وجهه شيئًا يسجد عليه) من وسادة او غيرها......(وان قدر) المريض (على القيام دون الركوع و السجود) اى كان بحيث لو قام لايقدر ان يركع ويسجد

www.dawateislami.net

(لم یلزمه القیام عندنا) بل یجوز ان یومی قاعدًا وھو افضل خلافًا لزفر و الثلاثة.... (وذکرفی الذخیرة) انه (اذا قدرعلی القیام والرکوع دون السجود) یعنی یقدر ان یقوم واذا قام یقدر ان یرکع ولکن لا یقدر ان یسجد (لم یلزمه القیام وعلیه ان یصلی قاعدًا بالایماء) فقوله لم یلزمه القیام یفهم منه انه یجوز له الایماء فی کل من القیام و القعود وقوله وعلیه ان یصلی قاعدًا یفهم منه ان القعود لازم وانه لا یجوز الایماء قائمًا (و) لکن (اکثرالمشایخ علی انه) لا یجب علیه الایماء قاعدًا بل (یخیران شاء صلی قائمًا بالایماء و ان شاء صلی قاعدًا بالایماء) لکن الایماء قاعدًا افضل لقربه من السجود

या'नी फ़राइज़े नमाज़ में से (दूसरा फ़र्ज़ क़ियाम है, अगर कोई शख़्स क़ियाम पर क़ुदरत रखने के बा वुजूद बैठ कर फ़र्ज़ नमाज़ अदा करेगा तो) उस की वोह नमाज़ (दुरुस्त नहीं होगी) ब ख़िलाफ़ नफ़्ल के, इस की तफ़्सील اِنْ شَآءَاللّٰه आगे (इस के मक़ाम पर) मज़्कूर होगी। (अगर मरीज़ क़ियाम करने से आ़जिज़ हो), चाहे वोह इ़ज्ज़ ह़क़ीक़ी हो या हुक्मी म-सलन : फ़ी नफ़्सिही क़ियाम पर क़ादिर तो है मगर क़ियाम की वज्ह से मरज़ बढ़ जाने या देर से सिह़ह़त याब होने का ख़ौफ़ हो, या क़ियाम की वज्ह से शदीद दर्द मह़सूस होता हो तो इन सूरतों में (बैठ कर रुकूअ़ व सुजूद के साथ नमाज़ अदा करेगा), इस की दलील ह़ज़रते इमरान बिन हुसैन رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ की रिवायत है कि जिसे इमाम मुस्लिम के इ़लावा मुह़द्दिसीन की जमाअ़त ने रिवायत किया कि आप رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ फ़रमाते हैं कि मुझे बवासीर की बीमारी थी तो मैं ने हुज़ूरे अक़्दस

www.dawateislami.net

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से नमाज़ के मु–तअ़ल्लिक़ सुवाल किया तो आप صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "खड़े हो कर नमाज़ पढ़ो, अगर इस की इस्तित़ाअ़त न हो तो बैठ कर और अगर इस की भी इस्तित़ाअ़त न हो तो करवट के बल लैट कर नमाज़ पढ़ो, नसाई शरीफ़ की रिवायत में मज़ीद इस बात का भी इज़ाफ़ा है कि और अगर इस की भी इस्तित़ाअ़त न हो तो चित लैट कर नमाज़ पढ़ो, **अल्लाह** तआ़ला किसी जान पर उस की त़ाक़त से ज़ियादा बोझ नहीं डालता।" अलबत्ता अगर क़ियाम पर क़ादिर भी हो और थोड़ी बहुत मशक़्क़त उसे होती है मगर क़ियाम की वज्ह से उसे दर्दे शदीद नहीं होगा और न ही मरज़ बढ़ने या देर से शिफ़ायाब होने का ख़ौफ़ है तो (इस मा'मूली सी तक्लीफ़ की वज्ह से) क़ियाम तर्क करने की इजाज़त नहीं होगी बल्कि अ़सा या ख़ादिम पर टेक लगा कर क़ियाम कर सकता हो तो इमाम ह़लवानी عَلَيْهِ الرَّحْمَة फ़रमाते हैं कि सह़ीह़ क़ौल के मुत़ाबिक़ उस शख़्स पर टेक लगा कर क़ियाम करना लाज़िम है, और अगर कुछ देर खड़ा हो सकता है तो इसी क़दर क़ियाम लाज़िम है ह़त्ता कि अगर सिर्फ़ तक्बीरे तह़रीमा खड़े हो कर कह सकता है तो इतना ही लाज़िम है कि खड़े हो कर तक्बीरे तह़रीमा कहे फिर बैठ जाए। (और अगर मरीज़ रुकूअ़ व सुजूद पर भी क़ादिर न हो तो) बैठ कर (इशारे से नमाज़ पढ़े और सज्दे का इशारा रुकूअ़ की ब निस्बत ज़ियादा पस्त करे और सज्दे के लिये पेशानी की त़रफ़) तक्या वग़ैरा (कोई चीज़ न उठाए)...... और मरीज़ (अगर खड़ा हो सकता

www.dawateislami.net

है मगर रुकूअ़ व सुजूद नहीं कर सकता तो हमारे नज़्दीक उस पर क़ियाम लाज़िम नहीं), वोह बैठ कर इशारे से नमाज़ पढ़ सकता है बल्कि येही उस के लिये अफ़्ज़ल है बर ख़िलाफ़ इमाम ज़ुफ़र और अइम्मए सलासा के...... (ज़ख़ीरा में मज़्कूर है कि जो शख़्स क़ियाम व रुकूअ़ पर क़ादिर हो मगर सज्दे पर क़ुदरत न रखता हो तो उस पर क़ियाम लाज़िम नहीं है, उस पर लाज़िम है कि बैठ कर इशारे से नमाज़ अदा करे), اھ. साहि़बे ज़ख़ीरा के फ़रमान "لم يلزمه القيام" से येह समझ में आता है कि इसे दोनों सूरतों की इजाज़त है कि खड़े हो कर इशारे से नमाज़ पढ़े या बैठ कर बहर सूरत जाइज़ है लेकिन आगे ज़िक्र कर्दा इबारत "عليه ان يصلى قاعدًا" से येह मा'लूम होता है कि उस पर क़ुऊ़द लाज़िम है, खड़े हो कर इशारे से अदा करने की इजाज़त नहीं, लेकिन (अक्सर मशाइख़ का मज़हब येह है कि) उस पर बैठ कर नमाज़ अदा करना वाजिब नहीं है (उसे इख़्तियार है कि खड़े हो कर इशारे से नमाज़ अदा करे या बैठ कर) अलबत्ता बैठ कर अदा करना अफ़्ज़ल है कि येह सज्दे की ह़ालत से ज़ियादा क़रीब है।[1]

तन्वीरुल अब्सार व दुर्रे मुख़्तार में है :

"(ومنها القيام فى فرض) وملحق به وسنة فجر فى الاصح (لقادر عليه) وعلى السجود، فلو قدر عليه دون السجود ندب ايماؤه قاعدًا وكذا من يسيل جرحه لو سجد وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه اذا قام

[1]......از : حلبی کبیر، ص ٢٦١-٢٦٦، ملتقطًا.

www.dawateislami.net

او يسلس بوله او يبدو ربع عورته او يضعف عن القراءة اصلًا اوعن صوم رمضان و لو اضعفه عن القيام الخروج لجماعة صلى فى بيته قائمًا به يفتى خلافًا للاشباه“

या'नी इन्हीं फ़राइज़ में से नमाज़े फ़र्ज़ और इस से मुल्हिक़ (या'नी वाजिब) और असह्ह क़ौल पर सुन्नते फ़ज्र में भी क़ियाम पर क़ादिर शख़्स के लिये क़ियाम फ़र्ज़ है और क़ादिर से मुराद वोह शख़्स है कि जो क़ियाम और सज्दा दोनों पर क़ादिर हो लिहाज़ा अगर कोई शख़्स क़ियाम पर तो क़ादिर है मगर सज्दे पर क़ादिर नहीं तो इस के लिये बैठ कर इशारे से नमाज़ अदा करना मुस्तहब है यूंही वोह शख़्स कि सज्दा करने की सूरत में जिस का ज़ख़्म बहता हो (इस के लिये भी बैठ कर इशारे से नमाज़ अदा करना मुस्तहब है) और कभी बैठ कर नमाज़ अदा करना ही मु–तअय्यन व लाज़िम हो जाता है जैसा कि वोह शख़्स कि खड़े होने से जिस का ज़ख़्म बहता हो या पेशाब के क़त्रे आते हों या खड़े होने की वज्ह से चौथाई सत्र खुल जाएगा या क़ियाम करने की सूरत में क़िराअत बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा या र–मज़ान के रोज़े नहीं रख पाएगा (तो इन सूरतों में बैठ कर ही नमाज़ पढ़ना लाज़िम है) और अगर जमाअ़त में जाने की वज्ह से क़ियाम करने में ज़ो'फ़ पैदा होता है (या'नी अगर मस्जिद में हुसूले जमाअ़त के लिये जाएगा तो क़ियाम नहीं कर सकेगा जब कि यहां घर में पढ़ता है तो क़ियाम के साथ नमाज़ अदा कर लेगा) तो इस सूरत में हुक्म येह है कि घर में खड़े हो कर नमाज़ अदा करेगा इसी पर फ़तवा दिया गया है, इश्बाह में मज़्कूर क़ौल के बर

www.dawateislami.net

ख़िलाफ़ ।[1]

मत्न की इबारत ‘‘لقادر علیه’’ के तह़त अ़ल्लामा शामी عَلَيْهِ الرَّحْمَة फ़रमाते हैं :

”فلو عجز عنه حقيقةً وهو ظاهر او حكمًا كما لو حصل له به الم شديد او خاف زيادة المرض و كالمسائل الآتية فى قوله ”وقد يتحتم القعود...الخ“ فانه يسقط وقد يسقط مع القدرة عليه فيما لو عجز عن السجود كما اقتصر عليه الشارح تبعًا للبحر و يزداد مسالة اخرى وهى الصلاة فى السفينة الجارية فانه يصلى فيها قاعدًا مع القدرة على القيام عند الامام“

या’नी अगर कोई शख़्स ह़क़ीक़तन क़ियाम से आ़जिज़ हो और येह सूरत ज़ाहिर है या हुक्मन आ़जिज़ हो जैसे क़ियाम की वज्ह से उसे शदीद दर्द होगा या मरज़ बढ़ जाने का ख़ौफ़ है इसी त़रह़ ‘‘दुर’’ की इबारत ‘‘وقد يتحتم’’ में जो सूरतें आ रही हैं तो वोह भी इ़ज्ज़े हुक्मी में दाख़िल हैं इन सूरतों में भी क़ियाम साक़ित़ हो जाएगा, और कभी क़ियाम पर क़ुदरत के बा वुजूद भी क़ियाम साक़ित़ हो जाता है जैसा कि सज्दे से आ़जिज़ होने की सूरत में क़ियाम साक़ित़ हो जाता है, शारेह़ عَلَيْهِ الرَّحْمَة ने ‘‘बह़र’’ की इत्तिबाअ़ में सिर्फ़ इसी पर इक्तिसार किया है और इस पर एक दूसरा मस्अला इज़ाफ़ा किया जाएगा वोह चलती हुई कश्ती में नमाज़ अदा करने का है कि अगर्चे क़ियाम पर क़ादिर हो इमामे आ’ज़म عَلَيْهِ الرَّحْمَة के नज़्दीक बैठ कर नमाज़ अदा कर सकता है ।

[1] ......تنویر الابصار مع در مختار و رد المحتار، ۲ / ۱۶۳، ۱٦٤، ۱٦٥، ملتقطًا.

www.dawateislami.net

और "فلو قدر عليه" के तह़्त फ़रमाते हैं : "اى على القيام وحده او مع الركوع كما فى المنية" या'नी सिर्फ़ क़ियाम पर क़ादिर हो या क़ियाम के साथ रुकूअ़ पर भी क़ादिर हो (बहर सूरत हुक्म एक है कि जब सज्दे से आ़जिज़ है तो क़ियाम साक़ित़ हो जाएगा) जैसे कि "मुन्यह" में मज़्कूर है।(1)

इसी में "सलातुल मरीज़" के बाब में एक मस्अले की तह़क़ीक़ करते हुए इर्शाद फ़रमाते हैं :

"ان كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجرمثلًا ولـم يزد ارتفاعه على قدر لبنة اولبنتين فهو سجود حقيقى.... بل يظهر لى أنه لوكان قادرًا على وضع شئ على الأرض مما يصح السجود عليه أنه يلزم ذلك" कि अगर वोह ज़मीन पर रखी चीज़ ऐसी है कि जिस पर सज्दा करना दुरुस्त है म-सलन पथ्थर पर किया और वोह एक या दो ईंटों से ज़ियादा बुलन्द भी नहीं तो उस पर किया जाने वाला सज्दा ह़क़ीक़ी सज्दा है...... बल्कि मेरे लिये तो येह बात ज़ाहिर हो रही है कि अगर कोई शख़्स ज़मीन पर ऐसी चीज़ कि जिस पर सज्दा सह़ीह़ हो रख कर सज्दा कर सकता है तो उस पर ऐसा करना लाज़िम है।(2)

इमामे अहले सुन्नत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن अपने एक तह़क़ीक़ी फ़तवे में फ़र्ज़िय्यते क़ियाम में कोताही करने वालों को तम्बीह करते हुए फ़रमाते हैं : "आज कल बहुत जुह्हाल(3) ज़रा सी बे त़ाक़तिये मरज़ या किबर सिन(4) में सिरे से बैठ कर

(1)......رد المحتار، ٢ / ١٦٤. (2)......رد المحتار، ٢ / ٦٨٦.

(3)..... या'नी ना वाक़िफ़ लोग। (4)..... बुढ़ापा।

www.dawateislami.net

फ़र्ज़ पढ़ते हैं ह़ालां कि **अव्वलन** उन में बहुत ऐसे हैं कि हिम्मत करें तो पूरे फ़र्ज़ खड़े हो कर अदा कर सकते हैं और उस अदा से न उन का मरज़ बढ़े न कोई नया मरज़ लाह़िक़ हो न गिर पड़ने की ह़ालत हो न दौराने सर[1] वग़ैरा कोई सख़्त अ-लमे शदीद हो सिर्फ़ एक गूना[2] मशक़्क़त व तक्लीफ़ है जिस से बचने को सरा-ह़तन नमाज़ें खोते हैं हम ने मुशा-हदा किया है वोही लोग जिन्हों ने ब ह़ीलए ज़ो'फ़ व मरज़ फ़र्ज़ बैठ कर पढ़ते और वोही बातों में इतनी देर खड़े रहे कि उतनी देर में दस बारह रक्अ़त अदा कर लेते ऐसी ह़ालत में हरगिज़ क़ुऊ़द की इजाज़त नहीं बल्कि फ़र्ज़ है कि पूरे फ़र्ज़ क़ियाम से अदा करें।" "काफ़ी शर्हे़ वाफ़ी" में है : "ان لحقه نو ع مشقة لم يجز ترك القيام" अगर अदना मशक़्क़त लाह़िक़ हो तो तर्के क़ियाम जाइज़ न होगा। (ت)

सानियन : माना कि उन्हें अपने तजरिबए साबिक़ा ख़्वाह किसी त़बीब मुसल्मान ह़ाज़िक़ आ़दिल मस्तूरुल ह़ाल[3] ग़ैर ज़ाहिरुल फ़िस्क़[4] के इख़्बार[5] ख़्वाह अपने ज़ाहिर ह़ाल के नज़रे सह़ीह़ से जो कम हिम्मती व आराम त़-लबी पर मब्नी न हो ब ज़न्ने ग़ालिब मा'लूम है कि क़ियाम से कोई म-रज़े जदीद या म-रज़े मौजूद शदीद व मदीद[6] होगा मगर येह बात तूले क़ियाम में होगी थोड़ी देर खड़े होने की यक़ीनन त़ाक़त रखते हैं तो उन पर फ़र्ज़ था कि

❶..... सर घूमना/चकराना। ❷..... एक त़रह़ की। ❸..... जिस का नेक या बद होना लोगों पर ज़ाहिर न हो। ❹..... जिस का फ़िस्क़ ज़ाहिर न हो। ❺..... बताना। ❻..... त़वील।

www.dawateislami.net

जितने क़ियाम की ताक़त थी उतना अदा करते यहां तक कि अगर सिर्फ़ **अल्लाहु अक्बर** खड़े हो कर कह सकते थे तो उतना ही क़ियाम में अदा करते जब वोह ग़-ल-बए ज़न की ह़ालत पेश आती तो बैठ जाते येह इब्तिदा से बैठ कर पढ़ना भी उन की नमाज़ का मुफ़्सिद हुवा।

सालिसन : ऐसा भी होता है कि आदमी अपने आप ब क़दरे तक्बीर भी खड़े होने की कुव्वत नहीं रखता मगर अ़सा के सहारे से या किसी आदमी ख़्वाह दीवार या तक्या लगा कर कुल या बा'ज़ क़ियाम पर क़ादिर है तो उस पर फ़र्ज़ है कि जितना क़ियाम इस सहारे या तक्ये के ज़रीए़ से कर सके बजा लाए, कुल तो कुल या बा'ज़ तो बा'ज़ वरना सह़ीह़ मज़हब में उस की नमाज़ न होगी : ''فقد مر من الدر ولو متكئًا على عصا او حائط'' (दुर के ह़वाले से गुज़रा अगर्चे अ़सा या दीवार के सहारे से खड़ा हो सके। ت)

तब्यीनुल ह़क़ाइक़ में है :

"لو قدر على القيام متكئًا (قال الحلوانى) الصحيح انه يصلى قائمًا متكئًا ولا يجزيه غير ذٰلك وكذٰلك لو قدر ان يعتمد على عصا او على خادم له فانه يقوم ويتكئ"

अगर सहारे से क़ियाम कर सकता हो (ह़लवानी ने कहा) तो सह़ीह़ येही है कि सहारे से खड़े हो कर नमाज़ अदा करे इस के इ़लावा किफ़ायत न करेगी और इसी त़रह़ अगर अ़सा या ख़ादिम के सहारे से खड़ा हो सकता है तो क़ियाम करे और सहारे से नमाज़ अदा करे। (ت)

येह सब मसाइल ख़ूब समझ लिये जाएं बाक़ी इस मस्अले

www.dawateislami.net

की तफ़्सीले ताम[1] व तह़क़ीक़ हमारे फ़तावा में है जिस पर इत्तिलाअ़ निहायत ज़रूर व अहम कि आज कल ना वाक़िफ़ी से जाहिल बा'ज़ मुद्दइयाने इल्म भी इन अह़काम का ख़िलाफ़ कर के नाह़क़ अपनी नमाज़ें खोते और सरा-ह़तन मुर-तकिबे गुनाह व तारिकुस्सलात होते हैं।[2]

सदरुश्शरीअ़ह मुफ़्ती अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ الرَّحْمَة बहारे शरीअ़त में "फ़र्ज़िय्यते क़ियाम के बयान" में फ़रमाते हैं :

(1) फ़र्ज़ व वित्र व ईदैन व सुन्नते फ़ज्र में क़ियाम फ़र्ज़ है कि बिला उ़ज़्रे सह़ीह़ बैठ कर येह नमाज़ें पढ़ेगा, न होंगी।

(2) अगर इतना कमज़ोर है कि मस्जिद में जमाअ़त के लिये जाने के बा'द खड़े हो कर न पढ़ सकेगा और घर में पढ़े तो खड़ा हो कर पढ़ सकता है तो घर में पढ़े, जमाअ़त मुयस्सर हो तो जमाअ़त से वरना तन्हा।

(3) खड़े होने से मह़्ज़ कुछ तक्लीफ़ होना उ़ज़्र नहीं, बल्कि क़ियाम उस वक़्त साक़ित़ होगा कि खड़ा न हो सके या सज्दा न कर सके या खड़े होने या सज्दा करने में ज़ख़्म बहता है या खड़े होने में क़त़रा आता है या चौथाई सत्र खुलता है या क़िराअत से मजबूरे मह़्ज़ हो जाता है। यूंही खड़ा हो तो सकता है मगर इस से मरज़ में ज़ियादती होती है या देर में अच्छा होगा या ना क़ाबिले बरदाश्त तक्लीफ़ होगी, तो बैठ कर पढ़े।

---

❶..... मुकम्मल तफ़्सील। ❷..... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 6, स. 160, 161

www.dawateislami.net

(4) अगर अ़सा या ख़ादिम या दीवार पर टेक लगा कर खड़ा हो सकता है, तो फ़र्ज़ है कि खड़ा हो कर पढ़े। अगर कुछ देर भी खड़ा हो सकता है अगर्चे इतना ही कि खड़ा हो कर **अल्लाहु अक्बर** कह ले, तो फ़र्ज़ है कि खड़ा हो कर इतना कह ले फिर बैठ जाए।

तम्बीहे ज़रूरी : "आज कल उ़मूमन येह बात देखी जाती है कि जहां ज़रा बुख़ार आया या ख़फ़ीफ़ सी तक्लीफ़ हुई बैठ कर नमाज़ शुरूअ़ कर दी, ह़ालां कि वोही लोग इसी ह़ालत में दस दस पन्दरह पन्दरह मिनट बल्कि ज़ियादा खड़े हो कर इधर उधर की बातें कर लिया करते हैं उन को चाहिये कि इन मसाइल से मु-तनब्बेह हों और जितनी नमाज़ें बा वुजूदे कुदरते क़ियाम बैठ कर पढ़ी हों उन का इआ़दा फ़र्ज़ है। यूंही अगर वैसे खड़ा न हो सकता था मगर अ़सा या दीवार या आदमी के सहारे खड़ा होना मुम्किन था तो वोह नमाज़ें भी न हुईं उन का फैरना फ़र्ज़।"[1]

बहारे शरीअ़त में "मरीज़ की नमाज़ के बयान" में भी इस ह़वाले से ज़रूरी मसाइल दर्ज हैं चन्द मुन्तख़ब मसाइल मुला-ह़ज़ा हों :

(5) जो शख़्स ब वज्ह बीमारी के खड़े हो कर नमाज़ पढ़ने पर क़ादिर नहीं कि खड़े हो कर पढ़ने से ज़रर[2] लाह़िक़ होगा या मरज़ बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा या चक्कर आता या खड़े हो कर पढ़ने से क़त़रा आएगा या बहुत शदीद दर्द ना क़ाबिले बरदाश्त पैदा हो जाएगा तो इन सब सूरतों में बैठ कर रुकूअ़ व सुजूद के साथ नमाज़ पढ़े।

1..... बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा : 3, जि. 1, स. 510, 511 2.....नुक़्सान

www.dawateislami.net

(6) अगर अपने आप बैठ भी नहीं सकता मगर लड़का या गुलाम या ख़ादिम या कोई अजनबी शख़्स वहां है कि बिठा देगा तो बैठ कर पढ़ना ज़रूरी है और अगर बैठा नहीं रह सकता तो तक्या या दीवार या किसी शख़्स पर टेक लगा कर पढ़े येह भी न हो सके तो लैट कर पढ़े और बैठ कर पढ़ना मुम्किन हो तो लैट कर नमाज़ न होगी।

(7) बैठ कर पढ़ने में किसी ख़ास त़ौर पर बैठना ज़रूरी नहीं बल्कि मरीज़ पर जिस त़रह़ आसानी हो इस त़रह़ बैठे। हां दो ज़ानू बैठना आसान हो या दूसरी त़रह़ बैठने के बराबर हो तो दो ज़ानू बेहतर है वरना जो आसान हो इख़्तियार करे।

(8) खड़ा हो सकता है मगर रुकूअ़ व सुजूद नहीं कर सकता या सिर्फ़ सज्दा नहीं कर सकता म-सलन ह़ल्क़ वग़ैरा में फोड़ा है कि सज्दा करने से बहेगा तो भी बैठ कर इशारे से पढ़ सकता है बल्कि येही बेहतर है और इस सूरत में येह भी कर सकता है कि खड़े हो कर पढ़े और रुकूअ़ के लिये इशारा करे या रुकूअ़ पर क़ादिर हो तो रुकूअ़ करे फिर बैठ कर सज्दे के लिये इशारा करे।

(9) इशारे की सूरत में सज्दे का इशारा रुकूअ़ से पस्त होना ज़रूरी है (सज्दे के लिये ज़ियादा सर न झुकाया तो इशारे से सज्दा अदा ही न होगा नमाज़ भी न होगी) मगर येह ज़रूर नहीं कि सर को बिल्कुल ज़मीन से क़रीब कर दे सज्दे के लिये तक्या वग़ैरा कोई चीज़ पेशानी के क़रीब उठा कर उस पर सज्दा करना मक्रूहे तह़रीमी

www.dawateislami.net

(गुनाह) है ख़्वाह ख़ुद उसी ने वोह चीज़ उठाई हो या दूसरे ने।

(10) अगर कोई ऊंची चीज़ ज़मीन पर रखी हुई है उस पर सज्दा किया और रुकूअ़ के लिये सिर्फ़ इशारा न हुवा बल्कि पीठ भी झुकाई तो सह़ीह़ है बशर्ते कि सज्दा के शराइत़ पाए जाएं म-सलन उस चीज़ का सख़्त होना जिस पर सज्दा किया कि इस क़दर पेशानी दब गई हो कि फिर दबाने से न दबे और उस की ऊंचाई बारह उंगल से ज़ियादा न हो। इन शराइत़ के पाए जाने के बा'द ह़क़ीक़तन रुकूअ़ व सुजूद पाए गए, इशारे से पढ़ने वाला इसे न कहेंगे और खड़ा हो कर पढ़ने वाला इस की इक़्तिदा कर सकता है और येह शख़्स जब इस त़रह़ रुकूअ़ व सुजूद कर सकता है और क़ियाम पर क़ादिर है तो उस पर क़ियाम फ़र्ज़ है या अस्नाए नमाज़[1] में क़ियाम पर क़ादिर हो गया तो जो बाक़ी है उसे खड़े हो कर पढ़ना फ़र्ज़ है लिहाज़ा जो शख़्स ज़मीन पर सज्दा नहीं कर सकता मगर शराइते मज़्कूरा के साथ कोई चीज़ ज़मीन पर रख कर सज्दा कर सकता है, उस पर फ़र्ज़ है कि इसी त़रह़ सज्दा करे इशारा जाइज़ नहीं और अगर वोह चीज़ जिस पर सज्दा किया ऐसी नहीं तो ह़क़ीक़तन सुजूद न पाया गया बल्कि सज्दे के लिये इशारा हुवा लिहाज़ा खड़ा होने वाला उस की इक़्तिदा नहीं कर सकता और अगर येह शख़्स अस्नाए नमाज़ में क़ियाम पर क़ादिर हुवा तो सिरे से पढ़े।

---

❶...... दौराने नमाज़।

www.dawateislami.net

(11) पेशानी में ज़ख़्म है कि सज्दे के लिये माथा नहीं लगा सकता तो नाक पर सज्दा करे और ऐसा न किया बल्कि इशारा किया तो नमाज़ न हुई।[1]

बहारे शरीअ़त से येह कुल ग्यारह मसाइल बयान हुए जो फ़र्ज़िय्यते क़ियाम और मरीज़ की नमाज़ के अ़ला-ह़दा अ़ला-ह़दा बयान में मज़्कूर हैं, सहूलत के लिये तरतीब के साथ इन पर नम्बर डाल दिये हैं, सिर्फ़ इन ग्यारह मसाइल को अगर तकरार के साथ समझ कर ज़ेह्न नशीन कर लिया जाए तो बैठ कर या इशारों से नमाज़ पढ़ने वालों पर उन की नमाज़ों का हुक्म साफ़ ज़ाहिर हो जाएगा बल्कि जो मरीज़ व मजबूर नहीं हैं उन्हें भी इन मसाइल को सीख लेना चाहिये कि कभी ख़ुद भी इन की ज़रूरत पड़ सकती है वरना दूसरे मुसल्मान मरीज़ों की ह़त्तल इम्कान शर-ई रहनुमाई के ह़वाले से काम आएंगे।

कुरसी के आगे लगी हुई तख़्ती पर सर रख कर सज्दा करने का हुक्म

कुरसी के आगे सज्दे के लिये टेबल नुमा तख़्ती जो लगी होती है कुरसी पर बैठने वाले उस पर सर जमा कर सज्दा कर लेते हैं उन का येह त़रीक़ा दुरुस्त नहीं क्यूं कि येह ह़क़ीक़तन सज्दा नहीं बल्कि सज्दे का इशारा है। और इशारा सर से करना होता है इस के साथ कमर झुकाना ज़रूरी नहीं, रुकूअ़ के इशारे में सर को

1...... बहारे शरीअ़त, जि. 1, स. 720, 722, मुख़्तसरन

www.dawateislami.net

झुकाएं और सज्दे के इशारे में इस से ज़ियादा झुकाएं, तो कुरसी के साथ लगी तख़्ती पर सर रखना बिल्कुल ग़ैर ज़रूरी है और आ़म तौ़र पर वोह लोग ऐसा करते हैं जो मरीज़ की नमाज़ पढ़ने के ज़रूरी मसाइल से वाक़िफ़ नहीं होते उन्हें नरमी के साथ समझा दिया जाए कि वोह ऐसा न करें।

और ह़क़ीक़तन सज्दा जिन पर करना ज़रूरी होता है उन का उस तख़्ती पर सर रखने को काफ़ी समझना आ'ला द-रजे की जहालत है, उन की नमाज़ ही नहीं होती है, कुरसी की तख़्ती पर सर रखने से ह़क़ीक़तन सज्दा अदा नहीं होता, जब सज्दा अदा नहीं होता तो नमाज़ भी नहीं होती, सज्दा ज़मीन पर या ज़मीन पर रखी हुई किसी ऐसी चीज़ पर जिस की बुलन्दी बारह उंगल से ज़ियादा न हो किया जाए तो ह़क़ीक़ी सज्दा अदा होता है, इस पर क़ादिर न हो तो क़ियाम भी अस्लन साक़ित़ हो जाता है, रुकूअ़ व सुजूद के इशारे करने होते हैं जैसा कि इस ह़वाले से काफ़ी तफ़्सील ऊपर गुज़र चुकी।

लिहाज़ा सज्दे का इशारा करने वालों का कुरसी की तख़्ती पर सर रखना लग़्व व बे जा है मगर चूंकि इशारा पाया गया इस लिये उन की नमाज़ हो जाती है जब कि ह़क़ीक़ी सज्दे पर क़ादिर ह़ज़रात का ऐसा करना वाज़ेह़ तौ़र पर ना जाइज़ है, उन की नमाज़ें इस से बरबाद होती हैं।

याद रहे कि जो मस्अला ह़दीस शरीफ़ और फ़िक़्ही जुज़्इय्यात में मज़्कूर है कि नमाज़ी का कोई चीज़ उठा कर सज्दा करना या

www.dawateislami.net

दूसरे का उस के लिये उठाना मक्रूहे तह़रीमी है उस का कुरसी की तख़्ती से कोई तअ़ल्लुक़ नहीं कि वोह ख़ुद उस के हाथ में या किसी और के हाथ में इस के लिये बुलन्द नहीं होती बल्कि ज़मीन पर रखी कुरसी के साथ ही लगी होती है, अगर कोई कुरसी की तख़्ती पर सर रखेगा तो इस बिना पर इसे मक्रूहे तह़रीमी क़रार देना दुरुस्त नहीं है।

चुनान्चे "मुल्तक़िल अब्ह़र" में है :

"ولا يرفع إلى وجهه شيئًا للسجود." या'नी मा'ज़ूर शख़्स सज्दा करने के लिये अपने चेहरे की त़रफ़ किसी चीज़ को बुलन्द नहीं करेगा।(1)

इस के तह़त अ़ल्लामा अ़ब्दुर्रह़मान बिन मुह़म्मद कल्यूबी عَلَيْهِ الرَّحْمَة एक रिवायत नक़्ल करते हैं :

"أن النبى صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا فراٰه يصلى على وسادة فأخذها فرمى بها، وأخذ عودًا ليصلى عليه فأخذه فرمى به، وقال صل على الأرض إن استطعت و إلا فأوم و اجعل سجودك أخفض من ركوعك."

या'नी नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم एक बीमार शख़्स की इ़यादत के लिये गए आप صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने उसे देखा कि वोह सामने तक्या रख कर नमाज़ पढ़ रहा है आप صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने उस से तक्या ले कर फेंक दिया। उस ने एक लकड़ी ले ली। आप صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने उस लकड़ी को भी ले कर फेंक दिया और इर्शाद फ़रमाया कि सज्दा ज़मीन पर करो अगर इस्तित़ाअ़त है वरना

1 ......ملتقى الابحر مع شرحه مجمع الانهر، ١ / ٢٢٨.

www.dawateislami.net

इशारे से पढ़ो और सज्दा करने में रुकूअ़ से ज़ियादा झुको ।[1]

इसी में ब ह़वाला कुहुस्तानी मज़्कूर है कि "لو سجد علی شئ مرفوع موضوع علی الأرض لم یکرہ." या'नी अगर किसी ऐसी बुलन्द चीज़ पर सज्दा किया जो ज़मीन पर रखी हुई है तो मक्रूह नहीं ।[2]

अ़ल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री ह़-नफ़ी رَحْمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ बह़्रुर्राइक़ में नक़्ल फ़रमाते हैं :

"روی ان عبد اللّٰہ بن مسعود دخل علی اخیہ یعودہ فوجدہ یصلی ویرفع الیہ عود فیسجد علیہ فنزع ذٰلك من ید من کان فی یدہ وقال ھٰذا شئ عرض لکم الشیطان اوم بسجودك وروی ان ابن عمر رأی ذٰلك من مریض فقال اتتخذون مع اللّٰہ الھۃ و استدل للکراھۃ فی المحیط بنھیہ علیہ السلام عنہ وھو یدل علی کراھۃ التحریم."

या'नी ह़ज़रते **अ़ब्दुल्लाह** बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ के बारे में मरवी है कि आप अपने भाई की इ़यादत करने के लिये गए तो उन को नमाज़ पढ़ते हुए देखा कि कोई शख़्स उन की त़रफ़ लकड़ी बढ़ाता है और वोह उस पर सज्दा करते तो आप رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ ने उस के हाथ से लकड़ी पकड़ ली और फ़रमाया येह चीज़ तुम्हें शैत़ान ने पेश की है बस तुम इशारे से ही सज्दा करो । इसी त़रह़ ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ ने किसी को इस त़रह़ करते हुए देखा तो फ़रमाया : क्या तुम **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के साथ किसी को ख़ुदा ठहराते हो ? और मुह़ीत़ में इस कराहत पर नबिय्ये करीम صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के मन्अ़ फ़रमाने से इस्तिद्लाल

---

1 ......مجمع الانھر شرح ملتقی الابحر، ١ / ٢٢٨.

2 ......مجمع الانھر شرح ملتقی الابحر، ١ / ٢٢٨.

www.dawateislami.net

किया गया है और आप का वोह फ़रमान कराहते तह़रीमी पर दलालत करता है।[1]

अ़ल्लामा फ़ह्हामा अ़लाउद्दीन ह़स्कफ़ी عَلَيْهِ الرَّحْمَة भी दुर्रे मुख़्तार में फ़रमाते हैं :

”(ولا يرفع الى وجهه شيئًا يسجد عليه) فإنه يكره تحريمًا (فإن فعل) بالبناء للمجهول ذكره العينى (وهو يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه صح) على أنه إيماء لا سجود إلا أن يجد قوة الأرض“

या'नी अपनी पेशानी की त़रफ़ सज्दा करने के लिये मरीज़ कोई चीज़ नहीं उठाएगा क्यूं कि ऐसा करना मक्रूहे तह़रीमी है, फिर अगर सज्दे के लिये कोई चीज़ उठाई गई (मज्हूल का सीग़ा है जैसा कि अ़ल्लामा ऐ़नी رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने इसे ज़िक्र फ़रमाया है) तो अगर रुकूअ़ की ब निस्बत सज्दा के लिये ज़ियादा पस्त हुवा था तो नमाज़ दुरुस्त हुई मगर येह इशारा ही क़रार पाएगा (ह़क़ीक़ी सज्दा नहीं) इल्ला येह कि उस चीज़ से ज़मीन की त़रह़ सख़्ती मह़सूस हो (कि अब येह ह़क़ीक़ी सज्दा है)।[2]

''दुर'' की इबारत ''يكره تحريمًا'' के तह़्त रद्दुल मुह़्तार में है :

”قال فى البحر واستدل للكراهة فى المحيط بنهيه عليه الصلوٰة والسلام عنه وهو يدل على كراهة التحريم اهـ وتبعه فى النهر اقول: هذا محمول على ما اذا كان يحمل الى وجهه شيئًا يسجد عليه بخلاف ما اذا كان موضوعًا على الارض يدل عليه ما فى الذخيرة حيث نقل عن الاصل الكراهة

---

1 ......بحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٢ / ٢٠٠.

2 ......در مختار مع رد المحتار، ٢ / ٦٨٥، ٦٨٦.

www.dawateislami.net

فـی الاول، ثـم قـال: فـان كانت الوسادة موضوعة على الارض و كان يسـجـد عـليهـا جازت صلاته قد صح ان ام سلمة كانت تسجد على مـرفـقة مـوضوعة بين يديها لعلة كانت بها ولم يمنعها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم من ذٰلك اهـ فان مفاد هٰذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة فـی الموضوع على الارض المرتفع ثم رأيت القهستانی صرح بذٰلك"

या'नी बह़र में फ़रमाया कि मुह़ीत़ में इस कराहत पर नबिय्ये मुकर्रम عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام की नह्य की बिना पर इस्तिद्लाल किया गया है और वोह नह्य कराहते तह़रीमी पर दलालत करती है......اھ. और नह्रुल फ़ाइक़ में भी इसी की पैरवी की है। अ़ल्लामा शामी عَلَیْہِ الرَّحْمَۃ फ़रमाते हैं कि "मैं कहता हूं" कि कराहत उस सूरत पर मह़मूल है कि जब सज्दे के लिये कोई चीज़ पेशानी की त़रफ़ उठाई जाए, बर ख़िलाफ़ इस सूरत के कि जब वोह चीज़ ज़मीन पर रखी हो (इस सूरत में येह कराहत नहीं है) ज़ख़ीरा की इ़बारत भी इसी बात पर दलालत करती है चुनान्चे उन्हों ने पहली सूरत के मु-तअ़ल्लिक़ "अस्ल" से कराहत का क़ौल इसी पहली सूरत के बारे में नक़्ल किया और फिर फ़रमाया : "तो अगर तक्या ज़मीन पर रखा हुवा हो और मरीज़ उस पर सज्दा करे तो नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी कि सह़ीह़ ह़दीस में है कि उम्मे स-लमा رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا बीमारी की वज्ह से सामने ज़मीन पर रखे हुए तक्ये पर सज्दा फ़रमाती थीं और नबिय्ये अकरम صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने उन्हें इस से मन्अ़ नहीं फ़रमाया......اھ (येह नक़्ल करने के बा'द अ़ल्लामा शामी قُدِّسَ سِرُّہُ السَّامِی फ़रमाते हैं :) तो साह़िबे ज़ख़ीरा का इस सूरत को सूरते अव्वल के मुक़ाबिल ज़िक्र करना फिर ह़दीसे उम्मे स-लमा से इस्तिद्लाल

www.dawateislami.net

करने का मफ़ाद येह है कि ज़मीन पर रखी हुई किसी बुलन्द चीज़ पर सज्दा करना मक्रूह नहीं है, फिर इसी बात की तस्रीह़ मैं ने कुहुस्तानी में भी मुला-ह़ज़ा की (जो मज्मउ़ल अन्हर के ह़वाले से मैं ने ऊपर ज़िक्र की है। फुज़ैल रज़ा)।

और ''दुर'' की इ़बारत ''الا ان يجد قوة الارض'' के तह़्त अ़ल्लामा शामी عَلَيْهِ الرَّحْمَة ने फ़रमाया :

"هذا الاستثناء مبنى على أن قوله: ولا يرفع إلخ شامل لما إذا كان موضوعًا على الأرض وهو خلاف المتبادر بل المتبادر كون المرفوع محمولًا بيده أو يد غيره، وعليه فالاستثناء منقطع لاختصاص ذٰلك بالموضوع على الأرض ولذا قال الزيلعى: كان ينبغى أن يقال إن كان ذٰلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجودًا و إلا فإيماء اھ وجزم به فى شرح المنية. واعترضه فى النهر بقوله وعندى فيه نظر لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء و معلوم أنه لا يصح السجود بدون الركوع ولو كان الموضوع مما يصح السجود عليه. اھ."

या'नी येह इस्तिस्ना इस सूरत पर मब्नी है कि मत्न की इ़बारत ''ولا يرفع'' ज़मीन पर रखी हुई चीज़ पर सज्दा करने की सूरत को भी शामिल हो जब कि येह ख़िलाफ़े मु-तबादिर है, बल्कि मु-तबादिर सूरत येह है कि वोह बुलन्द चीज़ कि जिस पर सज्दा किया है ख़ुद नमाज़ी के या किसी और शख़्स के हाथ में बुलन्द हो और इस तक़्दीर पर ज़मीन पर रखी हुई चीज़ के साथ इस के ख़ास होने की वज्ह से येह इस्तिस्ना मुन्क़तअ़ है, इसी लिये इमाम ज़ैलई عَلَيْهِ الرَّحْمَة ने फ़रमाया : मुनासिब है कि यूं कहा जाए कि अगर उस रखी हुई चीज़ पर सज्दा करना दुरुस्त है तो वोह सज्दा है वरना इशारा......اھ. इसी पर शर्हे

www.dawateislami.net

मुन्यह में जज़्म फ़रमाया, और नह्र में अ़ल्लामा जै़लई رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْه की इस इ़बारत पर ए'तिराज़ करते हुए कहा कि मेरे नज़्दीक इस में नज़र है क्यूं कि रुकूअ़ के लिये पस्त होना इशारा ही है और येह बात भी मख़्फ़ी नहीं कि रुकूअ़ के बिग़ैर सज्दा दुरुस्त नहीं अगर्चे वोह ऐसी चीज़ पर किया जाए कि जिस पर सज्दा करना सह़ीह़ हो......اھ.

(या'नी जब रुकूअ़ करना ह़क़ीक़तन न पाया गया इस का इशारा ही मु-तह़क़्क़क़ है तो सज्दे के बारे में येह तफ़्सील करना कि ''موضوع علی الارض'' अगर ऐसी चीज़ है कि इस पर सज्दा हो सकता है तो सज्दा दुरुस्त नहीं कि ह़क़ीक़तन रुकूअ़ के बिग़ैर ह़क़ीक़तन सज्दा नहीं पाया जाता अगर्चे वोह चीज़ ऐसी हो कि उस पर सज्दा करना दुरुस्त हो । फु़जै़ल रज़ा)

मज़ीद अ़ल्लामा शामी قُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِی अपनी तह़क़ीक़ दर्ज फ़रमाते हैं कि ''

"اقول الحق التفصيل و هو انه ان كان ركوعه بمجرد ايماء الرأس من غير انحناء و ميل الظهر فهذا ايماء لا ركوع فلا يعتبر السجود بعد الايماء مطلقًا و ان كان مع الانحناء كان ركوعًا معتبرًا حتى انه يصح من المتطوع القادر على القيام فحينئذ ينظر ان كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلًا ولم يزد ارتفاعه على قدر لبنة اولبنتين فهو سجود حقيقی فيكون راكعًا ساجدًا لا مومئًا حتى انه يصح اقتداء القائم به واذا قدر فی صلاته على القيام يتمها قائمًا وان لم يكن الموضوع كذلك يكون مومئًا فلا يصح اقتداء القائم به واذا قدر فيها على القيام استانفها بل يظهر لی أنه لو كان قادرًا على وضع شئ على الأرض مما يصح السجود عليه أنه يلزم ذلك لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقة

www.dawateislami.net

ولا يصح الإيماء بهما مع القدرة عليهما بل شرطه تعذرهما كما هو موضوع المسئلة."

(अ़ल्लामा शामी عَلَيْهِ الرَّحْمَة फ़रमाते हैं :) "मैं कहता हूं :" इस मस्अले में ह़क़ बात येह है कि इस में तफ़्सील है और वोह येह है कि अगर रुकूअ़ में मह़ज़ सर से इशारा किया इस के साथ पुश्त को झुकाए बिग़ैर तो येह इशारा है ह़क़ीक़तन रुकूअ़ नहीं तो रुकूअ़ के इशारे के बा'द मुत़्लक़न ह़क़ीक़ी सज्दा मो'तबर नहीं और अगर रुकूअ़ में पुश्त को झुकाया भी तो येह रुकूअ़ ह़क़ीक़तन मो'तबर है ह़त्ता कि क़ियाम पर क़ादिर शख़्स के लिये नफ़्ल नमाज़ में इस की मुत़्लक़न इजाज़त है। तो उस वक़्त देखा जाएगा कि अगर वोह ज़मीन पर रखी चीज़ ऐसी है कि जिस पर सज्दा करना दुरुस्त है म-सलन पथ्थर पर किया और वोह एक या दो ईंटों से ज़ियादा बुलन्द भी नहीं तो उस पर किया जाने वाला सज्दा ह़क़ीक़ी सज्दा है और नमाज़ी इशारा करने वाला नहीं रुकूअ़ व सज्दा करने वाला क़रार पाएगा ह़त्ता कि खड़े हो कर नमाज़ पढ़ने वाले के लिये ऐसे की इक़्तिदा करना सह़ीह़ है, और जब वोह दौराने नमाज़ क़ियाम पर क़ादिर हो जाए तो बक़िय्या नमाज़ खड़े हो कर मुकम्मल करेगा (नए सिरे से पढ़ने की ह़ाजत नहीं), और अगर वोह ज़मीन पर रखी हुई चीज़ ऐसी है कि जिस पर ह़क़ीक़तन सज्दा दुरुस्त नहीं हो सकता तो अब येह इशारे से नमाज़ पढ़ने वाला होगा लिहाज़ा अब क़ाइम उस की इक़्तिदा नहीं कर सकता और अगर येह दौराने नमाज़ क़ियाम पर क़ादिर हो जाए तो नमाज़ दोबारा नए सिरे से पढ़ेगा, बल्कि मेरे लिये तो येह बात ज़ाहिर हो रही है कि अगर कोई शख़्स ज़मीन पर ऐसी चीज़ कि जिस पर सज्दा सह़ीह़ हो रख कर सज्दा कर सकता है

www.dawateislami.net

तो उस पर ऐसा करना लाज़िम है कि येह शख़्स ह़क़ीक़तन रुकूअ़ व सुजूद पर क़ादिर है और इन पर क़ादिर होते हुए इशारा करना दुरुस्त नहीं होता कि इशारे की इजाज़त रुकूअ़ व सुजूद दोनों के तअ़ज़्ज़ुर के वक़्त है जैसा कि मस्अले का मौज़ूअ़ ही येह है ।(1)

ह़ासिल येह कि अ़ल्लामा शामी قُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِی की इस तह़क़ीक़े अनीक़ से जो क़ौले फ़ैसल का द–रजा रखती है वाज़ेह़ तौ़र पर साबित होता है कि ह़दीस शरीफ़ की "नह्य" इस पर मह़्मूल है कि जब कोई चीज़ नमाज़ी के या किसी दूसरे के हाथ में बुलन्द हो और उस पर नमाज़ी सर रखे न कि ज़मीन पर रखी हुई चीज़ पर । यूंही "दुर" की वह्म में डालने वाली इ़बारत "الا ان يجد قوة الارض" से पैदा होने वाले इस मफ़्हूम को कि "فلا يرفع" कहना ज़मीन पर रखी हुई बुलन्द चीज़ को भी शामिल है, ख़िलाफ़े मु–तबादिर क़रार देना और मफ़्हूमे मु–तबादिर की सराह़त करना कि मुसल्ली के अपने हाथ में या दूसरे के हाथ में कोई चीज़ मरफ़ूअ़ होना ही "يرفع" का मह़्मल है, इस से बख़ूबी ज़ाहिर हो जाता है कि ज़मीन पर रखी हुई किसी चीज़ पर सर रखना इस "नह्य" की बिना पर मक्रूहे तह़रीमी व गुनाह नहीं है, अगर बारह उंगल तक ऊंची चीज़ हो तो उस पर सज्दा करना सज्दए ह़क़ीक़ी ही कहलाता है जब तक इस पर क़ुदरत हो इशारा करना किफ़ायत नहीं करता नमाज़ नहीं होती और इस से ऊंची चीज़ जैसा कि कुरसी के साथ लगे हुए तख़्ते होते हैं उस पर सर रखना इशारा करने ही के ज़ुमरे में आता है अगर्चे इशारा करने वाले को इस त़रह़ करना नहीं चाहिये

(1) ......رد المحتار، ۲/ ۶۸۵، ۶۸۶.

www.dawateislami.net

मगर उस का ऐसा करना मकरूहे तह़रीमी हरगिज़ नहीं है ।

وَاللّٰہُ تَعَالٰی اَعْلَم وَ رَسُوْلُہٗ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

کتبـــــــــــــــہ

अबुल ह़सन फ़ुज़ैल रज़ा अल क़ादिरी अल अ़त्तारी عفا عنہ الباری

28 जुमादल ऊला 1436 हि./20 मार्च 2015 ई.

ماخذ و مراجع

نام کتاب	مصنف/مؤلف	مطبوعہ
صحيح البخاری	امام ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
سنن الترمذی	امام ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ھ	دار المعرفہ، بیروت ۱۴۱۴ھ
سنن ابی داود	امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث سجستانی، متوفی ۲۷۵ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۱ھ
ملتقی الابحر	علامہ ابراہیم بن محمد حلبی، متوفی ۹۵۶ھ	کوئٹہ
مجمع الانھر	علامہ عبدالرحمٰن بن محمد بن سلیمان کلیبولی، متوفی ۱۰۷۸ھ	کوئٹہ
بحرالرائق	علامہ زین الدین بن نجیم، متوفی ۹۷۰ھ	کوئٹہ، ۱۴۲۰ھ
حلبی کبیر	علامہ محمد ابراہیم بن حلبی، متوفی ۹۵۶ھ	سہیل اکیڈمی لاہور
تنویر الابصار	علامہ شمس الدین محمد بن عبداللہ تمرتاشی، متوفی ۱۰۰۴ھ	کوئٹہ
درمختار	علامہ علاء الدین محمد بن علی حصکفی، متوفی ۱۰۸۸ھ	کوئٹہ
رد المحتار	علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ	کوئٹہ
فتاویٰ رضویہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	رضا فاؤنڈیشن لاہور، ۱۴۱۸ھ
بہارِ شریعت	مفتی محمد امجد علی اعظمی، متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ، ۱۴۳۵ھ

फ़ेहरिस्त

www.dawateislami.net

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

नेक नमाज़ी बनने के लिये

हर जुमा'रात बा'द नमाज़े इशा आप के यहां होने वाले **दा'वते इस्लामी** के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात शिर्कत फ़रमाइये ۞ सुन्नतों की तरबिय्यत के लिये **म-दनी क़ाफ़िले** में आ़शिक़ाने रसूल के साथ हर माह तीन दिन सफ़र और ۞ रोज़ाना "**फ़िक्रे मदीना**" के ज़रीए **म-दनी इन्आ़मात** का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह की पहली तारीख़ में अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाने का मा'मूल बना लीजिये।

मेरा म-दनी मक़्सद : "**मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश करनी है।** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ" अपनी इस्लाह़ के लिये "**म-दनी इन्आ़मात**" पर अ़मल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश के लिये "**म-दनी क़ाफ़िलों**" में सफ़र करना है। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

मुम्बई : 19, 20, मुहम्मद अ़ली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429
देहली : 421, मटिया मह़ल, उर्दू बाज़ार, जामेअ़ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560
नागपूर : ग़रीब नवाज़ मस्जिद के सामने, सैफ़ी नगर रोड, मोमिन पुरा, नागपूर : (M) 09373110621
अजमेर शरीफ़ : 19/216 फ़लाहे दारैन मस्जिद, नाला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, अजमेर फ़ोन : 0145-2629385
हैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, हैदरआबाद फ़ोन : 040-24572786
हुब्ली : A.J. मुढोल कोम्पलेक्ष, A.J. मुढोल रोड, ओल्ड हुब्ली ब्रीज के पास, हुब्ली, कर्नाटक. फ़ोन : 08363244860

मक-त-बतुल मदीना®
दा'वते इस्लामी

फ़ैज़ाने मदीना, त्री कोनिया बग़ीचे के पास, मिरज़ापूर, अहमदआबाद-1, गुजरात, इन्डिया
Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net